उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाषःपी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111
फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

पत्र संख्याः 495 एसटी/19–38एसटी/90 दिनांकः 17 : जुलाईः 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ. प्र. परिवहन निगम।

दिनांक **18.07.2019** को समय **सांय 4.00** बजे प्रबन्ध निदेशक, महोदय की अध्यक्षता में आपके क्षेत्र की समीक्षा बैठक निगम मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रस्तावित है। बैठक का एजेण्डा निम्नवत् है :–

1. क्षेत्र के लम्बी दूरी के मार्गो पर संचालित सेवाओं (हाईवे/एक्सप्रेस वे/रात्रिकालीन सेवा) पर दो ड्राइवर लगाये जाने पर चर्चा।
2. क्रू ड्यूटी साफ्टवेयर के माध्यम से मार्ग पर वाहनों के संचालन की समीक्षा।
3. प्रथम चरण में लम्बी दूरी के मार्गो यथा राष्ट्रीयकृत मार्ग/एक्सप्रेस वे पर संचालित बसों में वेहिकल लोकेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम (वी.एल.टी.एस.) लगाये जाने व द्वितीय चरण में समस्त मार्गों पर वेहिकल लोकेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) लगाये जाने पर चर्चा।
4. प्रथम चरण में लम्बी दूरी मार्गों पर यथा राष्ट्रीयकृत मार्ग/एक्सप्रेस वे पर संचालित बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस/स्पीड गवर्नर लगाये जाने तथा उनके सुचारू रुप से कार्य किये जाने पर चर्चा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में समस्त मार्गों पर संचालित बसों में लगाये जाने के संबंध पर चर्चा।
5. चालक/परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण (नेत्र व सामान्य परीक्षण) तथा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाने पर चर्चा।
6. ब्रेथ एनेलाइजर की उपलब्धता एवं चालक/परिचालक के मार्ग पर जाने से पहले, मार्ग के मध्य में व यात्रा समाप्ति पर ब्रेथ एनेलाइजर से जांच किये जाने पर चर्चा।
7. लम्बी दूरी के मार्गो पर भेजी जाने वाली बसों का प्रस्थान से पहले तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण किया जाना।
8. लम्बी दूरी के मार्गो पर संचालित वाहनों पर दुर्घटना एलर्ट सेन्सर लगाये जाने की स्थिति की समीक्षा।
9. चालकों/परिचालकों में जागरूकता अभियान चलाये जाने पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
10. ड्राइवरों की आयु, आदत, अनुभव, स्वास्थ्य स्थिति, पूर्व में की गई दुर्घटनाओं के आधार पर श्रेणीकरण। कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में श्रेणी के आधार पर चालकों का प्रशिक्षण कराया जाना।
11. वाहनों की फिटनेस व नियमित रूप से अनुरक्षण किये जाने की स्थिति पर चर्चा।
12. दैनिक रूप से मार्ग निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति पर चर्चा।
13. बसों के परिचालन के मध्य चालक/परिचालक द्वारा **"किये जाने/न किये जाने"** के बिन्दुओं को सभी बसों में प्रदर्शित किये जाने पर चर्चा।
14. अन्य आईटीएमएस सेवा प्रणाली की स्थिति यथा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, ऑनलाइन टिकट प्रणाली तथा आईटीएमएस से संबंधित अन्य प्रणालियों के लागू किये जाने व उनके कार्य करने की स्थिति की समीक्षा।
15. गत 5 वर्षों में घटित दुर्घटनाओं की स्थिति तथा दुर्घटना शून्य किये जाने की स्थिति की समीक्षा।
16. मार्गों पर घटित दुर्घटनाओं पर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम (एआरएस) पर चर्चा।
17. मार्गों पर संचालित अनधिकृत वाहनों की रोकथाम व नई अनुबन्धन नीति के अंतर्गत वाहनों का अनुबन्धन किये जाने पर चर्चा।
18. नियमित रूप से डिपो/कार्यशाला/बस स्टेशनों एवं बसों की साफ–सफाई व अनुरक्षण की समीक्षा।

Downloaded from www.upsrtc.com